

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 01/2026-27
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण –

युप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० लाख में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	बेल्ड्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1	दायाँ कमला बलान तटबंध के विभिन्न प्रभाग का सम्पोषण एवं जंगल सफाई कार्य (कि०मी० 23.20 से कि०मी० 94.00)।	50.00	1.00	5000.00	590.00	कार्य आवंटन की तिथि से 20 दिन में फेज-1 तथा माह अगस्त के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह में फेज-11 का कार्य पूर्ण करना है।

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक – **02.06.2026**
3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि : दिनांक **09.06.2026** को 10:30 बजे पूर्वाह्न से दिनांक **13.06.2026** के 3.00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री-बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक-**13.06.2026** 3.00 बजे अपराह्न में, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक **15.06.2026** समय 3.30 बजे अपराह्न।
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
9. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर। मोबाइल नं० **7463889840**
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

Manu
02-06-2026
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 01/2026-27
(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण -

युप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रघन की राशि (रु० लाख में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	बेल्ड्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1	दायाँ कमला बलान तटबंध के विभिन्न प्रभाग का सम्पोषण एवं जंगल सफाई कार्य (कि०मी० 23.20 से कि०मी० 94.00)।	50.00	1.00	5000.00	590.00	कार्य आवंटन की तिथि से 20 दिन में फेज-I तथा माह अगस्त के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह में फेज-II का कार्य पूर्ण करना है।

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक - 02.06.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि : दिनांक 09.06.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 13.06.2026 के 3.00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री-बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक- 13.06.2026 3.00 बजे अपराह्न में, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 15.06.2026 समय 3.30 बजे अपराह्न। (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
9. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर। मोबाइल नं० 7463889840
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
11. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक जल संसाधन विभाग, बिहार के समुचित श्रेणी में निर्बंधित होना अनिवार्य है।
12. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
13. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
14. (क) E-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
(ख) E-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रघन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।
online mode के तहत अग्रघन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

Physical mode/ Manual Payment System के तहत
अग्रघन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 के आलोक में) (as per the

७

format in SBD) जो बिड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन, 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। मूल प्रति निविदा कागजात जमा करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 07/नियम-01-02/2023, दिनांक 10.01.2024 का पालन करना अनिवार्य होगा। अग्रधन एवं निविदा संबंधी अन्य कागजात जमा करने के संबंध में विभागीय पत्रांक -01/PMC/ विविध /879/2012- पार्ट-ii-88 दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन किया जायेगा।

(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".


(ङ) Eproc-2 पोर्टल पर निविदा हेतु विभागीय पत्रांक- 385 दिनांक 26.08.2020 एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक- 752 दिनांक 21.08.2020 द्वारा निर्गत संकल्प-सह-ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।

15. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र, जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
16. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office(Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
19. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
20. संवेदक के विपत्र से 1%(एक प्रतिशत) शेष की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौती विपत्र से की जाएगी।
21. रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) के संबंध में विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 का अनुपालन, खान एवं भू-तत्व/जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन प्रतिपत्रों के आलोक में काटी जायेगी।
22. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन पटना (0612-2235241) एवं सहायता कक्ष (Help Desk) से दूरभाष संख्या- +91 7605084942 एवं 18005726571 (Toll free) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
23. निविदादाताओं द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में जल संसाधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 1/PMC/न्यायालय/01/2022-915 दिनांक 24.12.2022 के आलोक में CWJC संख्या-9941/2022 में दिनांक 07.07.2023 में पारित न्यायादेश के संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1/PMC/न्यायालय/01/2022-536 दिनांक 18.07.2023 एवं पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 4439 दिनांक 17.07.2023 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
24. पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) कि अधिसूचना संख्या -449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिणाम विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए (Additional Performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है।
25. निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 447(S) दिनांक 16.01.2020., letter no. 448(S) दिनांक 16.01.2020 & letter no. 449(s) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
26. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
27. जल संसाधन विभाग का पत्रांक- 686 दिनांक 19.08.2014 (इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 6158 (एस) दिनांक 09.07.2014 अनुलग्नक सहित) लागू होगा एवं इसमें प्रावधानित निम्नलिखित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा:-

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishments as well as black listing."



- यह शपथ पत्र नोटरी द्वारा निर्गत प्रत्येक कार्य-गुप के लिए अलग-अलग होगा, जो अद्यतन होगा एवं तकनीकी बीड के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
28. "चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता" के संबंध में विभागीय पत्रांक- 124 दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
29. मजदूरी अनुज्ञप्ति (Labour License) के आलोक में श्रम संसाधन विभाग का पत्रांक- 881 दिनांक 08.03.2016 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
30. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
31. तकनीकी निविदा पूरी करने की न्यूनतम अहर्ता-
 (i) निविदादाता को जल संसाधन विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित होना अनिवार्य होगा।
 (ii) पर्याप्त अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
 (iii) शपथ पत्र क्रमांक 21 एवं 28 के अनुरूप होना चाहिए।
 (iv) कार्य से संबंधित आवश्यक न्यूनतम उपलब्ध यंत्र-संयंत्र "स्वयं/किराया सहित" से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 (v) प्राक्कलित राशि के मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत, सदृश कार्यों को पूर्ण करने का कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 (vi) अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित होगा। तदनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार के संकल्प सं०- 1399(S), दिनांक 31.03.2008 के कंडिका-8 के अनुसार अग्रधन की राशि 1% (प्रतिशत) जमा करना अनिवार्य होगा।
32. यह कार्य आपदा से संबंधित कार्य है। उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु अवधि सीमित रहने के कारण एवं कार्यों को ससमय पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त कार्यों से संबंधित यदि कोई वित्तीय बोली (Financial Bid) एकल होता है, तो पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-3162(S) दिनांक 09.05.2016 के आलोक में एकल निविदा को निस्तार करने हेतु विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।
33. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
34. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
35. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-686 दिनांक-19.08.2014 पत्रांक-200, 201, 202 दिनांक 14.03.16 एवं पत्रांक 274 दिनांक 18.04.16 एवं विभागीय पत्रांक 730 दिनांक 17.10.2019 में दिये गये शर्तों का एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. यह कार्य सम्पौषण मद से विषय शीर्ष- 2711 के अन्तर्गत है, जिसमें किसी भी प्रकार की दायित्व का सृजन नहीं किया जाना है।
37. यह निविदा आमंत्रण सूचना निविदा अभिलेख का एक अंश होगा। कार्यावंटन आदेश निर्गत होने के उपरांत सफल निविदाकार को निर्धारित अवधि में वांछित प्रारम्भिक प्रतिभूति समर्पित कर एकरारनामा अनुबंध करना आवश्यक होगा।
38. अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-बाढ़(मो०)सि०-42/2022(अंश)-3012 दिनांक 13.06.2025 द्वारा निर्गत पत्र के साथ संलग्न, प्रधान सचिव महोदय, जल संसाधन विभाग, बिहार के गौ०सो०प्र०सो०-188, दिनांक 05.06.2025 द्वारा गठित समिति के बैठक (दिनांक-10.06.2025 को सम्पन्न) की कार्यवाही में निहित निदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।


 02-06-2026
 कार्यपालक अभियंता
 बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-2, झंझारपुर।